न्यायालय— जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या— 07 / 2015

फुल कुमारी बनाम राज्य

—:: आदेश ::—

16.8.15

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा ऑगनवाड़ी वाद संख्या— 03 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक— 14.10.2015 से विक्षुब्ध होकर यह अपील दाखिल किया गया हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि बाल विकास परियोजना, सौरबाजार के पंचायत सहुरिया पश्चिम बखड़ी वार्ड नं0—12 आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या— 143 मेहता टोला के सेविका पद का चयन दिनांक— 17.04.2015 को ज्ञापांक 143 के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार के द्वारा किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका नियुक्ति मार्गदर्शिका का अक्षरशः पालन करते हुए दिनांक— 15.04.15 को आयोजित वार्ड की आम सभा में लिये गये निर्णय के आलोक में किया गया हैं। अपीलार्थी के चयन के विरूद्ध विपक्षी संख्या— 4 द्वारा आंगनवाड़ी वाद संख्या— 03 / 2015—16 श्रीमती आशा रानी बनाम राज्य एवं श्रीमती फूल कुमारी वगैरह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में दायर किया गया, जिसमें बिना आंगनवाड़ी सेविका नियुक्ति मार्गदर्शिका को देखे एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार के द्वारा मार्गदर्शिका के अनुरूप किये गये नियुक्ति को ध्यान में रखे और नियुक्ति मार्ग दर्शिका के सभी नियमों को ताक पर रखते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के चयन को निरस्त करते हुए विपक्षी संख्या— 4 का चयन किया गया जो कानूनी दृष्टि से बिल्कुल अवैध हैं। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा दिनांक— 14.10.2015 को पारित आदेश में आंगनवाड़ी सेविका नियुक्ति मार्गदर्शिका के कंडिका 8.12 को बिना पढ़े एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार के यहाँ संचित अभिलेख को बिना पढ़े अपीलार्थी के चयन को निरस्त करते हुए विपक्षी संख्या— 04 की नियुक्ति की गई, जिससे अपीलार्थी के नैसर्गिक न्याय एवं विधि के शासन का उल्लंघन होता हैं। अपीलार्थी उक्त केन्द्र के लिए सन 2007 में भी आवेदन दी थी एवं अपीलार्थी हीं उक्त पोषक क्षेत्र एवं केन्द्र की सबसे योग्य अभ्यर्थी थी। फिर भी, विभागीय मिलीभगत एवं पैसे तथा पैरवी के बल पर विपक्षी संख्या— 04 का चयन किया गया, जिसके खिलाफ अपीलार्थी ने यह अपील की थी एवं दिनांक— 29.09.11 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा वाद संख्या—65 / 11—12 में विपक्षी संख्या— 4 के चयन को रदद कर चयन मुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या— 36 / 10 दायर किया गया था, जिसमें तत्कालिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के चयन मुक्ति के आदेश को बरकरार रखा गया। पुनः विपक्षी संख्या—4 आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या— 105 / 13 आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में दायर किया गया, जिसमें दिनांक—29.01.13 को जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा विपक्षी संख्या— 4 के चयन मुक्ति आदेश को दिनांक— 29.12.13 को आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या— 105 / 13 में सही ठहराते हुए नये सिरे से मार्ग दर्शिका के प्रावधानों के आधार पर पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए चयन करने का आदेश दिया।

आगे अपीलार्थी ने कहा है कि विपक्षी संख्या— 04 द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से इन्टरमीडिएट की परीक्षा नियमित छात्रा के रूप में सन् 2010—12 सत्र में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुई थी एवं पुनः उसी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए सेविका के पद पर आवेदन दी एवं सात अंक बोनस के रूप में पायी, जो कि विभाग के साथ धोखाधड़ी एवं गैरकानूनी हैं। अपीलार्थी द्वारा विपक्षी संख्या— 4 के द्वारा अपने आवेदन में संलग्न इंटर मीडिएट का अंक पत्र के बारे में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार के समक्ष आवेदन दी थी, जिसको सेविका के पद के चयन के समय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार के द्वारा संज्ञान लिया गया था। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए विपक्षी संख्या— 04 का चयन अपीलार्थी के चयन को रदद करते हुए किया गया, जो कि कानून की दृष्टि से बिल्कुल हीं अवैध है एवं अपीलार्थी के विरूद्ध नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन भी हैं, जिससे अपीलार्थी काफी मर्माहत एवं विक्षुब्ध है तथा गलत रूप से चयनित विपक्षी संख्या— 4 के पक्ष में निर्गत चयन पत्र को स्थगित रखने एवं उचित न्याय की अपील की हैं।

अपीलार्थी ने अपने लिखित बहस में कहा है कि दिनांक— 15.04.2015 को बाल विकास परियोजना पदाधिकाकरी, सौरबाजार के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका नियुक्ति मार्गदर्शिका के कंडिका 8.12 का अक्षरशः पालन करते हुए किया। विपक्षी संख्या— 4 के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकाकरी, सहरसा के न्यायालय में आंगनवाड़ी वाद संख्या— 03 / 2015—16 दाखिल किया गया, जिसमें अपीलार्थी के चयन को निरस्त करते हुए विपक्षी

16.3.15 16.3.15

संख्या– 4 को दिनांक– 14.10.2015 को सेविका पद के लिए चयनित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में रीट याचिका संख्या– 13122/07 दायर किया गया था, जिसमें मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त रीट याचिका को निष्पादित करते हुए अपीलार्थी को आदेश दिया गया कि जिलाधिकारी के समक्ष वाद दायर करें, तदुपरान्त अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में आंगनवाड़ी वाद संख्या– 36/2010 दायर किया गया, जिसमें दिनांक– 29.01.2013 को उक्त वाद में विपक्षी संख्या– 4 आशा रानी का चयनमुक्त किया गया और नये सिरे से चयन का आदेश दिया गया। आदेश के विरूद्ध आशा रानी के द्वारा आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में रिवीजन वाद संख्या– 105/13 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक– 21.12.2013 को जिलाधिकारी के आंगनवाड़ी वाद संख्या– 36/10 में दिए आदेश को आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के द्वारा बरकरार रखा गया। तत्पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार के द्वारा उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए मार्गदर्शिका के कंडिका– 8 के तहत प्रक्रिया शुरू की गई और सभी नियमों का पालन करते हुए दिनांक– 15.04.2015 को अपीलार्थी फूल कुमारी का चयन किया गया। कंडिका संख्या– 4.12 उप कंडिका– 4 के तहत आश रानी पहले हीं उक्त केन्द्र के लिए चयनमुक्त हो चुकी थी, इसलिए योग्य नहीं थी। उन्होंने लिखित बहस के माध्यम से आगे उल्लेख किया है कि मेधा सूची में विपक्षी संख्या– 4 (आश रानी) का अधिक अंक होना, विभाग को धोखा–धड़ी कर पूर्व में सेविका के पद पर रहते हुए नियमित छात्रा के रूप में वर्ष 2009 में सी०एम० साइन्स कॉलेज, मधेपुरा के माध्यम से बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद, पटना में पंजीकरण कर वर्ष 2012 में इन्टर पास की और मेधा सूची में उस अंक पत्र को संलग्न कर नौकरी हासिल करना चाहती थी, जो सरासर गलत हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका चयन मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका संख्या– 4.12 के उप कंडिका– 4 में उल्लेखित शब्द " विभिन्न अनुशासनिक/ जॉच कारणों से चयनमुक्त की गई सेविका पुनः चयन के लिए अयोग्य होगी," का पालन करते हुए अपीलार्थी का चयन दिनांक– 15.04.2015 को किया गया। अन्ततः अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश दिनांक– 14.10.2015 को निरस्त करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार के आदेश दिनांक– 15.04.2015 को अपीलार्थी के चयन को सही मानते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की याचना की गई हैं।

प्रतिपक्षी आशा रानी का कहना है कि दाखिल वाद सरासर मनगढ़न्त, तथ्यविहीन व आधारहीन है, जो चलने लायक नहीं है, बल्कि खारीज योग्य हैं। निम्न न्यायालय के आदेशानुसार उक्त केन्द्र के सेविका पद पर चयनित होकर कार्यरत हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कण्डिका– 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। चूँकि अपीलार्थी का चयन बिल्कुल अवैध रूप से किया गया है जो घोर अनियमितताएँ को अस्वीकार कर चयन पत्र निर्गत किया गया था, जिसके विरूद्ध विपक्षी निम्न न्यायालय में ऑगनवाड़ी 03/15–16 दाखिल की, जिसमें साम्यक रूपेण दोनों हीं पक्षकारों का सुनवाई करते हुए मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधनों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निमयानुसार दिनांक– 14.10.21015 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के गलत रूप से किए गए चयन को रद्द कर दिया गया व विपक्षी को चयन करने का आदेश दिया गया, जो बिल्कुल सही हैं, कोई दुर्बलता परिलक्षित नहीं होता हैं। आंगनवाड़ी मार्गदश्रिका में वर्णित कण्डिका 8.12 में प्रावधान है कि सेविका/ सहायिका के चयन के लिए आयोजित वार्ड की आम सभा किस प्रकार किया जायेगा तथा उक्त कण्डिका में वर्णित प्रावधान के अनुरूप आम सभा किया गया, किन्तु गलत रूप से अपीलार्थी का चयन किया गया, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरान्त अपीलार्थी के गलत चयन को रद्द करते हुए विपक्षी का चयन करने का आदेश दिए जो सही हैं।

प्रतिपक्षी ने आगे कहा है कि विपक्षी आश रानी का चयन उक्त केन्द्र के सेविका पद हेतु दिनांक– 27.04.2007 को आम सभा द्वारा हुआ। प्रशिक्षणोपरान्त योगदान कर नियमित रूप से केन्द्र का संचालन करती चली आ रही थी। दिनांक– 05.05.2011 को आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के द्वारा गठित जॉच दल द्वारा जॉचोपरान्त टी०एच०आर० वितरण एवं संचालन को लेकर एक जॉच प्रतिवेदन दिया गया। तत्संदर्भ में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या– 65/2011–12 दर्ज कर आशा रानी से स्पष्टीकरण का मांग किया गया व सुनवाई उपरान्त जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक– 30.09.2011 को चयन मुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील वाद संख्या– 105/2011–12 दाखिल की, जिसमें अपीलार्थी कहीं से भी पक्षकार नहीं थी, जिसमें तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा सुनवाई उपरान्त जॉच दल के प्रतिवेदन को हीं आधार मानते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील वाद को खारीज कर दिए। विपक्षी आश रानी पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद संख्या– 203/2012 दाखिल की, जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा सुनवाई उपरान्त दिनांक–

16.3.17 16.3.17

22.11.2012 को आदेश पारित करते हुए जॉच दल के रिर्पोट को गलत पाये व तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के चयन मुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए आशा रानी के चयन को बरकरार रखते हुए केन्द्र संचालन करने का आदेश दिए। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि विपक्षी आशा रानी को बतौर सेविका अनुशासनिक/ जॉच कारणों से चयन मुक्त नहीं किया गया। चूँकि तत्कालीन प्रोग्राम पदाधिकारी एवं तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा जिस जॉच प्रतिवेदन को आधार मान कर चयन मुक्त किया गया था, उसे मान्नीय आयुक्त महोदय के न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया व चयन को बरकरार रखा गया तथा पुनः विपक्षी आशा रानी योगदान देकर कार्य करने लगी। अपीलार्थी का यह कहना कि विपक्षी आशा रानी द्वारा वाद संख्या' 65/11–12 में पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में ऑगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 36/2010 दायर किया था, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के चयन मुक्ति आदेश को बरकरार रखा गया सर्वथा सत्य से परे है व बिल्कुल गलत है व विद्वान न्यायालय के समक्ष को छुपाया गया। वर्ष 2007 में आम सभा के द्वारा विपक्षी आशा रानी को सभी अहर्त्ता सही पाकर चयन किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद संख्या– 36/2010 विपक्षी आशा रानी के विरूद्ध दाखिल किया, जिसमें तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा चयन प्रक्रिया में अनियमितता के कारण प्रतिपक्षी आशा रानी के चयन को रद्द करते हुए पुनः नये सिरे से चयन का आदेश दिए। विपक्षी आशा रानी तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा अपील वाद संख्या– 36/2010 में चयन प्रक्रिया में अनियमितता के कारण किये गये चयन मुक्ति आदेश के विरूद्ध मान्नीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में अपील वाद संख्या– 105/13 दाखिल किया, जिसमें इस वाद की अपीलार्थी फूल कुमारी को भी प्रतिपक्षी बनाया तथा न्यायालय द्वारा दोनों हीं पक्षकारों की सुनने के उपरान्त चयन में अनियमितता को पाते हुए तथा यह दर्शाते हुए कि चूँकि निम्न न्यायालय द्वारा फूल कुमारी के आवेदन को स्वीकृत किया गया है, जिससे प्रतिवादी फूल कुमारी के चयन का रास्ता साफ हुआ है, अतः मूल अभिलेख गायब होने एवं छेड़–छाड़ होने के कारण उन तथ्यों पर निर्णय लेने से पुनः विवाद उत्पन्न होना संभावी है, इसलिए उक्त केन्द्र के सेविका / सहायिका पद हेतु नये सिरे से मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आधार पर चयन करने का आदेश दिए, जिसमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि आशा रानी नये सिरे से चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकती हैं। विपक्षी का चयन बतोर सेविका उक्त केन्द्र हेतु वर्ष 2007 में आयोजित आम सभा द्वारा किया गया। उस वक्त विपक्षी मैट्रिक उर्त्तीण थी, तत्पश्चात विपक्षी आशा रानी को जॉच दल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 30.09.2011 को चयन मुक्त कर दिया, जो दिनांक– 22.11.2012 तक चयन मुक्त रहीं। चयन मुक्ति के दौरान विपक्षी आशा रानी इन्टरमीडिएट की परीक्षा दिनांक– 26.03.2012 को दी व उर्त्तीण हुई, जिसे दिनांक– 11.1.2012 को इन्टरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। चयन मुक्ति के दौरान विपक्षी आशा रानी इन्टरमीडिएट की परीक्षा पास की तो यहाँ विभाग से कैसा धोखाधड़ी की है। नये सिरे से किये गये चयन प्रक्रिया में सम्मलित होने पर उसे 07 बोनस अंक दिया गया तथा मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, जिसके आधार पर विपक्षी का सर्वाधिक मेधा अंक 52.28 प्रतिशत एवं अपीलार्थी का मेधा अंक 45 प्रतिशत दर्शाया गया तथा आम सभा में सर्वाधिक कमेधा अंक के आधार पर सभी अहर्त्ता को सही पाकर चयन किया जाना था, किन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा गलत रूप से अपीलार्थी का चयन किया गया, जिस तथ्य को निम्न न्यायालय द्वारा साम्यक रूप से अवलोकन कर आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी का चयन रद्द कर विपिक्षी के चयन का आदेश दिए, जो सही एवं मार्गदर्शिका के अनुरूप हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि दोनों अभ्यर्थियों ने विभिन्न न्यायालयों में एक दूसरे के विरूद्ध अयोग्यता संबंधी तथ्य दिये है। अतः अपील को स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० के पारित आदेश को निरस्त करते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त केन्द्र पर पुनः नये सिरे से चयन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

16.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

16.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।